न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 71/2019 निर्णय दिनांक :– 22.11.19

उनवान

1. रोडूराम पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी ग्रम तितरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर।

–– वादीगण ––

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, तहसील चाकसू, जयपुर।

–– प्रतिवादीगण ––

दावा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी ने वाद निम्न प्रकार पेश किया कि :–

वादी की स्वयं की कब्जे काश्त एवं आराजी खाता संख्या 535 के खसरा नम्बर 782, 785, 786/3781, 798, 800, 801, 806, 807, 808, 890, 898, 900, 1295, 1296, 1299, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2966, 2967 किता 23

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

रकबा 6.64 है0 वाके ग्राम तितरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसको वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया है। वादी वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादी अपनी उपज का उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करता चला आ रहा है।विवादित आराजी में स्वयं का नाम रोडू पि.मु. भैरु राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित हो रखा है जबकि वादी का वास्तविक नाम रोडूराम पुत्र हरनाथ राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होना चाहिये था तथा वादी का नाम वोटरलिस्ट व आधार कार्ड , पहचान पत्र ÷ राशन कार्ड में रोडूराम पुत्र हरनाथ अंकित हो रखा है जो सही दर्ज हो रखा है। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिये था। वादी का नाम वादग्रस्त आराजी में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से व वादी के पिता हरनाथ जी के अनपढ होने व वादी के पिता के भाई स्व. भैरु के नाऔलाद फौत होने के कारण वादी का नाम रोडू पि.मु. भैरु राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर दिया गया तथा जबकि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रोडूराम पुत्र हरनाथ अंकित होना चाहिये था जिससे वादी वादग्रस्त आराजी में स्वयं का नाम रामपाल की जगह रोडूराम पुत्र हरनाथ दुरस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिसका वादी कानूनन अधिकारी है। वादी वादग्रस्त आराजी की राजस्व रिकॉर्ड की नकले दिनांक 26.03.2019 को

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

निकलवाई तब उसको बैंक में दिखाया तो दस्तावेजो व रिकॉर्ड में नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है। बैंक वालो ने कहा कि पहले तुम नाम दुरस्त कराओ तब लोन देंगे तब जानकारी हुई। वादी के लिये आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी में वादी अपना नाम रोडू पि.मु. की जगह रोडूराम पुत्र हरनाथ दुरस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। वादी के लिये वादकारण दिनांक 26.03.2019 को बैंक वालो ने कहा कि आपका नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है जिसके लिये कहने पर उत्पन्न हुआ। विवादित आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार हासिल है। वादी का वाद अन्दर मियाद एवं निश्चित न्यायशुल्क पर पेश है। वादी का वाद पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 535 के खसरा नम्बर 782, 785, 786/3781, 798, 800, 801, 806, 807, 808, 890, 898, 900, 1295, 1296, 1299, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2966, 2967 किता 23 रकबा 6.64 है0 वाके ग्राम तितरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्वयं वादी का नाम रोडू पि.मु. भैरू के स्थन पर रोडूराम पुत्र हरनाथ दुरस्त फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नही करे। अन्य कोई उचित आदेश जो वादी के हित में हो और माननीय न्यायालय की दृष्टि में उचित हो पारित किये जावे। दावा वकील वादी के वकील द्वारा पेश किये जाने पर दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि मद संख्या 1 मुताबिक जमाबंदी ग्राम तीतरिया पटवार हल्का तीतरिया सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या नया 553 व खाता संख्या पुराना 481 में दर्ज अंकन की हद तक स्वीकार है। मद संख्या 2 व 3 वादी स्वयं सिद्ध करें । मद संख्या 4 के कम में उक्त खातेदारी पूर्व में भैरू पुत्र सोहन व हरनाथ पुत्र रामाकिशन जाति जाट नाम से दर्ज थी। नामा0 संख्या 321 से खातेदारी भैरू पुत्र सोहन के स्थान पर रोडु पि0 मु0 भैरू के नाम दर्ज हो गई। शेष कानूनी है। मद संख्या 5 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद रांख्या 6 से 9 कानूनी है। मद संख्या 10(क) से 10(ग) माननीय न्यायायल के क्षेत्राधिकार में है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वादी वकील ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादी के पिता का नाम दुरूस्त फरमाया जाकर डिक्री किया जावे। वादी ने दावे के समर्थन में ग्राम तीतरिया की जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 114, जमाबंदी आधार वर्ष

उपखण्ड अधिकारी
बाकसू (जयपुर)

मिलान क्षेत्रफल संवत 2051–70 जमाबंदी संवत 2023–26 आधार कार्ड परिवार राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड चुनाव पहचान पत्र, मृत्यू प्रमाण पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र। वकील वादी की बहस पर गोर किया व प्रस्तुत दस्तावेज व पत्रावली का परीक्षण किया गया तो वादी का विवादित आराजी में रोडू पि,मु, भैरू अंकित हो रखा है वादी के वास्तविक पिता का नाम हरनाथ है। वादी के पिता व भैरू सगे भाई थे जो भैरू ना औलाद फौत होने पर भैरू व हरनाथ के एक मात्र वारिस वादी ही होने के कारण वादी के द्वारा छोडी गयी भूमि का नामान्तकरण वादी के नाम खौला गया किन्तु पिता का नाम सहवन से हरनाथ की जगह पि,मु, भैरू के नाम से खोल दिया गया , इस प्रकार भेरू व हरनाथ के एक मात्र वारिस रोडूराम होने से भैरू व हरनाथ द्वारा छोडी गयी सम्पत्ति का एक मात्र वारिस रोडूराम ही था किन्तु नामान्तकरण खोलते समय सहवन से गलत नाम खोल दिया गया जिसे दुरूस्त किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 782, 785, 786/3781, 798, 800, 801, 806, 807, 808, 890, 898, 900, 1295, 1296, 1299, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2966, 2967 किता 23 रकबा 6.64 है0 वाके ग्राम तितरिया तहसील चाकसू के पिता का नाम रोडू पि.मु. भैरू के स्थान पर रोडूराम पुत्र हरनाथ उर्फ पि,मु, भैरू शुद्ध किये

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जाने के आदेश दिये जाते है व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2019.12.03 16:37:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: